-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 30.10.2025

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

- ❖ **मिशन शक्ति अभियान 5.0 के क्रम में क्षेत्राधिकारी अतर्रा की अध्यक्षता में अतर्रा डिग्री कॉलेज में जागरुकता कार्यक्रम का किया गया आयोजन। क्षेत्राधिकारी अतर्रा द्वारा छात्राओं से संवाद कर उनकी सुरक्षा एवं सशक्तीकरण हेतु शासन द्वारा चलाई जा रही योजनाओं, साइबर अपराधों आदि के बारें में दी गई जानकारी। सभी को जुलाई 2024 से लागू तीनों नए कानून के प्रावधानों के बारे में भी दी गई जानकारी।**

विवरण- महिला सुरक्षा एवं सशक्तीकरण हेतु उ0प्र0 शासन द्वारा चलाये जा रहे **मिशन शक्ति 5.0 अभियान** के क्रम में **पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल** के निर्देशन में जनपद के समस्त थाना क्षेत्रों में पुलिस द्वारा जागरुकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में आज दिनांक 30.10.2025 को **क्षेत्राधिकारी अतर्रा श्री प्रवीण कुमार** की अध्यक्षता में **अतर्रा डिग्री कॉलेज** में जागरुकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान छात्राओं को शासन की विभिन्न योजनाओं और हेल्पलाइन नम्बरों के बारे में जानकारी दी गई एवं उनकी उनकी सुरक्षा के विभिन्न संवैधानिक एवं विधिक प्रावधानों जैसे- लैंगिक उत्पीड़न, घरेलू हिंसा, दहेज उत्पीड़न आदि के साथ-साथ विभिन्न हेल्पलाइन नम्बरों **जैसे- मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076, वीमेन पावर लाइन 1090, आपातकालीन पुलिस सेवा 112, चाइल्ड केयर लाइन 1098, साइबर हेल्पलाइन 1930, महिला हेल्पलाइन 181** आदि के बारे में पम्प्लेट वितरित कर जानकारी दी गई और महिलाओं/बालिकाओं को उनके सशक्तीकरण हेतु चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की भी जानकारी दी गई। इस दौरान साइबर अपराधों के बारे में भी विस्तृत जानकारी दी गई जिसमें वर्तमान में नवीनतम तरीके से होने वाले साइबर अपराधों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। जिसमें- केवाईसी अपडेट के नाम पर फर्जी कॉल्स या लिंक भेजकर उपयोगकर्ताओं से उनके निजी और बैंकिंग डिटेल्स मांगी जाती हैं। ओटीपी फ्रॉड जिसमें कॉल या मैसेज के ज़रिए उपयोगकर्ताओं से ओटीपी लेकर उनके बैंक खातों से पैसे ट्रांसफर कर लिए जाते हैं। यूपीआई स्कैम (UPI Scam) जिसमें UPI पेमेंट लिंक या QR कोड स्कैन कराकर खातों से राशि चुरा ली जाती है। सोशल मीडिया हैकिंग जिसमें सोशल मीडिया अकाउंट्स को हैक कर उनसे फर्जी संदेश भेजकर लोगों से पैसे मंगवाए जाते हैं। फर्जी कॉल्स जिसमें खुद को बैंक अधिकारी, पुलिस या किसी प्रतिष्ठित संस्था का प्रतिनिधि बताकर ठगी की जाती है। फिशिंग ईमेल्स (Phishing Emails) जिसमें आकर्षक ऑफर्स या नौकरी के नाम पर ईमेल भेजकर यूजर्स की निजी जानकारी जुटाई जाती है आदि प्रकार के साइबर अपराधों के बारें में जानकारी दी गई। इस दौरान Student Police Experiential Learning-SPEL के नोडल अधिकारी श्री प्रवीण कुमार तथा NSS की नोडल अधिकारी श्रीमती साबिरा रहमानी द्वारा युवा सम्मेलन में सभी को 01 जुलाई 2024 से लागू हुए तीनो नए कानूनों **भारतीय न्याय संहिता (Bharatiya Nyaya Sanhita - BNS 2023), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita - BNSS 2023)** तथा **भारतीय साक्ष्य अधिनियम (Bharatiya Sakshya Adhiniyam - BSA 2023)** के महत्त्वपूर्ण प्रावधानों के बारे में जानकारी दी गई तथा SPEL प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले प्रतिभागियों को प्रमाण-पत्र भी वितरित किए गए।